राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(113)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2013/7907-8258 दिनांक : 08/05/2013

परियोजना प्रबन्धक (समस्त)
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 में आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत जारी राज्यांश की राशि के उपयोग बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीयांश की राशि के रूप में राशि रु. 424.53 करोड़ एस.एल.एन.ए. के खाते में हस्तान्तरित किये गये है, जिसके मैचिंग राज्यांश की राशि रु. 47.17 करोड़ वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.4(230)वित्त–1(1)/आय–व्यय/2011 दिनांक 28.03.2013 के माध्यम से जिला परिषदों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरित करने के आदेश जारी किये गये है।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में एस.एल.एन.ए. स्तर से अब तक केवल निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाली परियोजनाओं हेतु ही केन्द्रीयांश की राशि जारी की गई है तथापि राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप सभी परियोजनाओं हेतु राज्यांश की राशि जिला परिषदों के पी.डी.खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है। उपर्युक्त परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत परियोजनाओं को किश्तों की प्रदेयता में समरूपता रखने एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु राज्यांश की राशि परियोजनाओं को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. बैच–प्रथम हेतु जिन परियोजनाओं में एस.एल.एन.ए. के स्तर से केन्द्रीयांश की राशि (पूर्व में जारी 20% राशि के अतिरिक्त) द्वितीय किश्त के रूप में जारी की जा रही है, केवल उन्हीं परियोजनाओं में हस्तान्तरित राशि के मैचिंग राज्यांश की राशि परियोजना के खाते में हस्तान्तरित की जावे एवं शेष राशि परियोजना प्रबन्धक के खाते में ही रखी जावें। भविष्य में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाली परियोजनाओं हेतु केन्द्रीयांश की राशि एस.एल.एन.ए. द्वारा हस्तान्तरित करने पर उसके मैचिंग राज्यांश की राशि के साथ परियोजना प्रबन्धक द्वारा राशि सम्बन्धित परियोजना के खाते में हस्तान्तरित की जावें।
2. बैच–द्वितीय हेतु कोई केन्द्रीयांश की राशि अभी तक जारी नहीं की गई है, क्योंकि प्रारम्भिक चरण के मूल्यांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः बैच द्वितीय हेतु कोई भी राज्यांश की राशि किसी भी परियोजना हेतु हस्तान्तरित नहीं की जावे एवं समस्त राशि परियोजना प्रबन्धक के खाते में ही रखी जावें। भविष्य में बैच द्वितीय हेतु एस.एल.एन.ए. स्तर से केन्द्रीयांश की राशि जिस परियोजना हेतु जारी की जायेगी, उसके मैचिंग राज्यांश की राशि परियोजना प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित परियोजना के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

3. बैच–तृतीय हेतु सभी परियोजनाओं के लिए वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर के खातों में राशि रु. 57.36 करोड़ केन्द्रीयांश के रूप में हस्तान्तरित की जा चुकी है। अतः परियोजनावार हस्तान्तरित केन्द्रीयांश की राशि के मैचिंग राज्यांश की राशि सम्बन्धित परियोजना के खाते में हस्तान्तरित कर दी जावें।
4. बैच–चतुर्थ हेतु समस्त स्वीकृत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीयांश की राशि के रूप में राशि रु. 56.78 करोड़ वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर के खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है। अतः परियोजनावार हस्तान्तरित केन्द्रीयांश की राशि के मैचिंग राज्यांश की राशि सम्बन्धित परियोजना के खाते में हस्तान्तरित कर दी जावें।
5. परियोजना प्रबन्धक द्वारा नियमित रूप से अंक मिलान कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना विशेष हेतु प्राप्त केन्द्रीयांश के अनुसार ही राज्यांश का मैचिंग आवंटन किया गया है।
6. सभी परियोजना प्रबन्धकों के स्तर से जारी किये गये राज्यांश की राशि का परियोजनावार विवरण प्रत्येक माह की 1 तारीख एवं 15 तारीख को निदेशालय की लेखा शाखा को भिजवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त दिशा निर्देशों की ठोस अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

(डा0 आरूषी मलिक)
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(113)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2013 / 7907-8258 दिनाक : 08/05/2013

प्रतिलिपि :—
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर (समस्त)
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर सभी जिलों से उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगें एवं प्रत्येक माह की 3 एवं 16 तारीख को जिलों से सूचना प्राप्त कर संकलित सूचना निदेशक महोदया को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।
8. उपनिदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
9. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
10. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त)
11. पी.आई.ए. एवं सहायक अभियन्ता (जलग्रहण), पंचायत समिति
12. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ कराना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार